राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1866/2024

दामोदर लाल शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.05.2024
आदेश की दिनांक : 28.05.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अधिवक्ता

आदेश

मामले की आवश्यकता प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 21.11.1978 (अनुलग्नक–1) द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से अध्यापक ग्रेड–ाा के पद पर हुई थी और आदेश दिनांक 28.06.1989 (अनुलग्नक–2) द्वारा स्थाई किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 16.12.1985 द्वारा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के रूप में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया और आदेश दिनांक 28.12.1985 (अनुलग्नक–3) द्वारा पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 23.11.2001 (अनुलग्नक–4) द्वारा तदर्थ पदोन्नति दी गई और बाद में आदेश दिनांक 12.08.2004 (अनुलग्नक–5) द्वारा वर्ष 2001–02 की रिक्तियों के विरुद्ध प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय के पद पर नियमित पदोन्नति दी गई और अपीलार्थी को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 16.03.2011 (अनुलग्नक–6) द्वारा सेवानिवृत्त कर दिया गया। आदेश दिनांक 16.09.2011 (अनुलग्नक–7) द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक टोंक को अतिरिक्त राशि वसूलने के निर्देश दिये गये क्योंकि सेवा रिकार्ड की जांच में पाया गया कि अपीलार्थी को तदर्थ पदोन्नति पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26–ए का लाभ दिया गया है। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता के पद तक और फिर वरिष्ठ अध्यापक से प्रधानाध्यापक के पद तक, जबकि प्रधानाध्यापक का पद वरिष्ठ अध्यापक के पद के बराबर होता है। निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने आदेश दिनांक 21.02.2024 (अनुलग्नक–8) द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2001–02 में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति से पूर्व नियमित वरिष्ठ अध्यापक मानते हुए नियमित रूप से प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया था न कि व्याख्याता के पद पर नियमित चयन वेतनमान/वरिष्ठ वेतनमान एवं 30 वर्ष की एसीपी का लाभ दिया जा सकता है। अपीलार्थी को प्रधानाध्यापक पद पर तदर्थ पदोन्नति पर राजस्थान सेवा नियम 26–ए का लाभ नहीं दिया गया तथा 20–30 वर्ष की एसीपी का लाभ भी नहीं दिया गया। अपीलार्थी ने व्याख्याता स्कूल शिक्षा वाणिज्य व्यावसायिक संगठन के रूप में लगभग 15 वर्ष 11 माह यानि 191 माह तक सेवाएं दीं लेकिन डीपीसी के अभाव में सेवाएं नियमित नहीं की गईं। इसलिए अपीलार्थी ने व्याख्याता स्कूल शिक्षा के पद पर सेवाओं को नियमित करने और 20–30 वर्षों का लाभ देने के लिए अभ्यावेदन दिया, जैसा कि समान पद वाले व्यक्ति को दिया गया है (अनुलग्नक–9 एवं 10)।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) वाणिज्य व्यावसायिक संगठन के रूप में अपीलार्थी की 15 साल 11 महीने की सेवाओं को नियमित किया जावे और उसके बाद 20 और 30 साल की एसीपी का लाभ दिया जावे और तदनुसार पेंशन सहित सेवा और सेवानिवृत्ति लाभों को संशोधित कर देय तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत ब्याज के साथ संचित बकाया का भुगतान करने के निर्देश दिए जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order)

प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य